प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 12.03.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. दीपक कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी छोटी सरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दुबे, हे0का0 हरिनारायण , का0 धर्मेश कुमार गौड़।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 212 वाहनों से 255,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 12.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 212 वाहनों से 255,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबादं पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आगजनी के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा मु0अ0सं0 152/2026 धारा 326(जी), 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त प्रेमचन्द पुत्र परदेशी निवासी बैरमपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 12.03.2026 को बालूशासन पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
विदित हो कि वादी सुभाष पुत्र रामदरश निवासी बरईपार द्वारा दिनांक 10.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबद पर अपने बहनोई उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी के घर में आग लगाकर जलाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रभान्शु कुमार राय, हे0का0 रामरतन, का0 कमलेश यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* मु0अ0स0 83/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त कृष्णा उर्फ किशन पुत्र रामअवतार निवासी मोतीनगर ईदगाह थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जीआरपी चौक टैम्पू स्टैण्ड थाना संगम बिहार नई दिल्ली के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 11.02.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 12.03.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 इन्द्रभूषण सिंह, हे0का0 गौरीशंकर चौरसिया, म0का0 कुमारी सुनीता।